[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 54/2019-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, 14 नवंबर, 2019

सा.का.नि. (अ) आयुक्त, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 61 के उपनियम (5) के साथ पठित केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 29/2019-केंद्रीय कर, तारीख 28 जून, 2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 455(अ), तारीख 28 जून, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना के, पहले पैरा में, तीसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

> "परंतु यह भी कि ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों की दशा में, जिनका मूल कारबार स्थान जम्मू-कश्मीर राज्य में है, जुलाई, 2019 से सितंबर, 2019 तक प्रत्येक मास के लिए, उक्त नियमों के **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** में विवरणी इलैक्ट्रानिकी रूप से सामान्य पोर्टल के माध्यम से 20 नवंबर को या उससे पूर्व प्रस्तुत की जाएगी ।"।

2. यह अधिसूचना 20 सितंबर, 2019 से प्रभावी हुई समझी जाएगी ।

[फा. सं. 20/06/08/2019-जीएसटी]

(रूचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 29/2019-केंद्रीय कर, तारीख 28 जून, 2019, भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 455(अ), तारीख 28 जून, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी और पश्चातवर्ती संशोधन अधिसूचना सं. 37/2019-केंद्रीय कर, तारीख 21 अगस्त, 2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, में सा.का.नि. 589(अ) तारीख 21 अगस्त, 2019 द्वारा संशोधित की गई थी ।